सं. ई.11016/01/2019-हिन्दी /316
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 17 जुलाई, 2019

विषयः- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25.06.2019 को हुई 76वीं बैठक का कार्यवृत्त।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25.06.2019 को हुई 76वीं बैठक का कार्यवृत सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/संबंद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

अनिल कुमार 18/7/19
(अनिल कुमार)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाषः 23719033

<u>संलग्नकः- यथोपरि</u>

सेवा में-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संगठन।
4. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव (भूमिजल एवं आईसी)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग के निजी सचिव।

सं. ई.11016/01/2019-हिन्दी
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25.06.2019 को हुई 76वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 76वीं बैठक माननीय श्री कमखेंथंग गुइते, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2019 को 03.00 बजे (अपराह्न) एनएमसीजी के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न अनुभागों/संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची की मदों के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक **27.12.2018** को संपन्न समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तथा पिछली तिमाही के दौरान की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। वर्तमान में विभाग के सभी अनुभागों एवं संबंधित संगठनों द्वारा धारा 3(3) और नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में भी इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि ई-मेल से पत्र भेजते समय भी यथासंभव हिन्दी में पत्राचार किया जाए। यह भी निदेश दिया कि कार्यवृत्त प्राप्त होने पर उसकी अनुपालना रिपोर्ट तथा तिमाही रिपोर्ट समय पर मंत्रालय/हिन्दी अनुभाग को अवश्य भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी अनुभाग और सभी अधीनस्थ कार्यालय)

(क) मूल पत्राचार - मद संख्या 3 के तहत मूल पत्राचार के विषय में चर्चा के दौरान समिति ने आँकड़ों की समीक्षा की और पाया कि मंत्रालय के कई अनुभागों में मूल पत्राचार का प्रतिशत प्रगतिशील रहा है। कई अनुभागों ने पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में हिंदी के कार्य के प्रति काफी गंभीरता